भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2919 का उत्तर

बेस किचन/पेंट्री कारों में नियुक्ति

2919. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदारों द्वारा बेस किचन/पेंट्री कारों में होटल प्रबंधन स्नातकों की अनिवार्य नियुक्ति के लिए कोई निर्देश आज की तारीख में मौजूद है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईआरसीटीसी के ठेकेदार उक्त निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईआरसीटीसी द्वारा विभिन्न ट्रेनों में किसी भी रैंक पर किसी होटल प्रबंधन स्नातक की नियुक्ति नहीं की गई है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई रेलवे क्लस्टर अनिवार्य दो प्रीमियम ट्रेनों से अधिक का संचालन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) एक ही रूट वाली ट्रेनों के बजाय अलग-अलग रूट वाली ट्रेनों के क्लस्टर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) दो रेलवे क्लस्टर की ट्रेनें एक ही परिवार को क्यों दी गई हैं;

(छ) उन आईआरसीटीसी ठेकेदारों को ठेके आवंटित करने के क्या कारण हैं जिनके खिलाफ जनता और यात्रियों द्वारा शिकायतें की गई थीं; और

(ज) क्या सरकार ने उचित जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने 2023 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24 के तहत अनुदेश जारी किए थे। इसमें किसी एक रेलगाड़ी के स्थान पर समूह में रेलगाड़ियों के ठेके प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

अवसंरचना के विकास और रेलगाड़ी में भोजन तैयार करने और सेवाओं की आद्योपांत जवाबदेही तय करने पर बल दिया गया है। बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खानपान सेवाओं के प्रबंधन के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण के संबंध में अनुदेश शामिल हैं। इन सेवाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए होटल प्रबंधन स्नातकों को तैनात करना अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी/ठेकेदारों द्वारा डिग्री/डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं: रसोईघर संचालन की निगरानी के लिए विभिन्न रसोई घरों में 819 मॉनिटर तैनात किए गए हैं तथा ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं की निगरानी के लिए गाड़ियों में 876 मॉनिटर तैनात किए गए हैं।

आईआरसीटीसी ने मौजूदा नीति निर्देशों के तहत गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति के लिए बेस किचनों की कमीशनिंग हेतु स्थानों की पहचान के साथ-साथ गाड़ियों के मार्ग-वार समूह तैयार किए हैं। निविदा दस्तावेजों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, आईआरसीटीसी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए उच्चतम बोलीदाता को गाड़ी समूहों के ठेके प्रदान किए गए हैं। ठेकेदारों द्वारा निविदा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी ठेकेदार को कोई भी अनैतिक व्यवहार या अनुचित लाभ से रोकने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा सुदृढ़ निगरानी प्रणाली और अनुपालन उपाय किए गए हैं।

आईआरसीटीसी द्वारा जारी गाड़ी क्लस्टरों की निविदा में कुल 24 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से आईआरसीटीसी द्वारा 20 इकाईयों को ठेके प्रदान किए गए हैं। आईआरसीटीसी द्वारा निविदा शर्तों के विपरीत कोई भी ठेका प्रदान नहीं किया गया है।

रेलवे द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन, सुझाव, शिकायतों आदि की जांच गुण-दोष के आधार पर की जाती है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****